मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-27.12.2013 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

---

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. **कृषि विभाग** में अवमाननावाद के कुल 06 (छ:) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के कुल 47 (सैंतालीस) मामले लम्बित है। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा अवमाननावाद के मामले में अविलम्ब S.O.F. दायर करने का निदेश दिया गया।

3. **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** में अवमाननावाद के कुल 81 (इक्यासी) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के कुल 573 (पाँच सौ तिहत्तर) मामले लम्बित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा अवमाननावाद के मामले में संबंधित अवर समाहर्त्ता से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र Showcause दाखिल करने का एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले में चार सप्ताह के अन्दर प्रति शपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया। अवमाननावाद के मामले में जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त कर मामलों में शीघ्र कारवाई करने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा दिया गया।

4. **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग** में अवमाननावाद के कुल 8 (आठ) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 में कुल 49 (उनचास) मामले लम्बित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले का समीक्षा कर शीघ्र कारवाई करने का निदेश दिया गया।

5. समीक्षात्मक बैठक में लघु जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग एवं निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग प्रधान सचिव/सचिव की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए एवं अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

6. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामले को 4 सप्ताह के अन्दर शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगली बैठक में अवगत करायेंगे। समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया था लेकिन अधिकांश विभाग द्वारा बैठक के दिन या एक दिन पूर्व विधि विभाग को अधूरा प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समय एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नही मिलने पर मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में बैठक के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अत: अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति

के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

17.1.14

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/436 जे0 पटना, दिनांक-20/01/14

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/1/14

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/436 जे0 पटना, दिनांक-20/01/14

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/1/14

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।